"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 512] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2014— आश्विन 15, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-4/2008/1/एक. — छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय के परामर्श से राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल के द्वारा दिये जाने वाले स्वेच्छानुदान नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 6 में शब्द एवं अंक "रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार)" एवं "रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख)" के स्थान पर क्रमश: शब्द एवं अंक "रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख)" एवं "रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख)" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.